न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –03/2019

उनवान

वादी

1.रेखाराम पुत्र चुतराराम उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी जायडू तहसील रामसर जिला बाडमेर।

प्रतिवादी

1. भींयाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी जायडू तहसील रामसर जिला बाडमेर।
2. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक रामसर जिला बाडमेर।
3. तहसीलदार रामसर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 03/2019 दिनांक :– 8/4/2026

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा **जायडू** पटवार मण्डल इन्द्रोई भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सियाणी तहसील रामसर के खसरा संख्या 2 रकबा **0.04 बीघा किस्म भूमि गैरमुमकिन ढाणी व खसरा नंबर 3 रकबा 182.15 बीघा किस्म बा.दो. कुल खसरा 2 रकबा 182.19 बीघा में 1/2 हिस्सा** में वादी एवं प्रतिवादीगण की आयी हुई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार प्रतिवादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक **05.02.2019** को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार रामसर के पत्रांक /भू.अ./2025/1488 दिनांक 30.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **जायडू** पटवार मण्डल इन्द्रोई भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सियाणी तहसील रामसर के खसरा संख्या **2 व 3** रकबा **4.4515** हेक्टयर भूमि में सलग्न तहसीलदार रामसर विभाजन एवं नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि को निम्नानुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाता है।

क्र.सं.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर	लगान	बंरग
1	रेखाराम वल्द चुतराराम हिस्सा पूर्ण कौम जाट सा. देह.	2	0.0324	0.00	भूरा
2	रेखाराम वल्द चुतराराम हिस्सा 621/1813 आदूराम वल्द रेखाराम हिस्सा 1192/1813 कौम जाट सा.देह रहन–आदूराम RMGB शाखा सियाणी	3	14.6734	–	आसमानी
3	भीयाराम वल्द हेमाराम हिस्सा पूर्ण कौम जाट सा.देह खातेदार	3	14.7058	–	नीला
4	रेखाराम वल्द चुतराराम हिस्सा 1/3 आदूराम वल्द रेखाराम हिस्सा 1/3 भीयाराम वल्द रेखाराम हिस्सा 1/3 कौम जाट सा.देह.	3	0.2033	–	लाल

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लटठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार विभाजन मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्च पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार डिकरी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (SDO) रामसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:27:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी ब मुकदम इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cilil Procedure Code, Appendix "d"1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर बमुकाम रामसर

बइजलास श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1.रेखाराम पुत्र चुतराराम उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी जायडू तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1.भींयाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी जायडू तहसील रामसर जिला बाडमेर। 2.शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक रामसर जिला बाडमेर। 3.तहसीलदार रामसर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 03/2019 दिनांक :– 8/4/2026

यह मुकदमात आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी वादी श्री मदनसिंह भाटी वकील मिनजानिब मुददाई व तहसीलदार रामसर मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **जायडू** पटवार मण्डल इन्द्रोई भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सियाणी तहसील रामसर के खसरा संख्या **2** रकबा **0.04 बीघा किस्म भूमि गैरमुमकिन ढाणी व खसरा नंबर 3 रकबा 182.15 बीघा किस्म बा.दो. कुल खसरा 2 रकबा 182.19 बीघा में 1/2 हिस्सा** हेक्टयर हिस्सा वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 02 में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है।

तहसीलदार रामसर को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

बीज.......... मुबलीग............. बाबत

यह खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरद.......फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **08.04.2026** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.रामसर)

सहायक कलक्टर (SDO) रामसर

सहायक कलक्टर रामसर (मुहर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:27:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner